HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

#MISSIONSHAKTI

मिशन शक्ति अभियान फेस-5.0 के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 06.12.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 18.05.2017 को शाहरूख उर्फ रिहान पुत्र शाकिर निवासी मौहल्ला आदर्श नगर कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 160/2017 धारा 449, 376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.06.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 06.12.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री समरजीत सिंह, पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्ड़ेय का विशेष योगदान रहा।